कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक/जउयो/01/2021–22/ 10264 नवा रायपुर दिनांक 23/01/2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला .... (छ0ग0)

विषय :– पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत वर्ष 2022–23 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश।

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत विगत वर्षों की भांति पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत इस वर्ष 2022–23 में भी योजना का प्रचार–प्रसार करने संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जा रहे है।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021) की कंडिका 11 अनुसार कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु दिनांक **27.03.2022 (दिन रविवार)** को **समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक** लिखित परीक्षा आयोजित किया जावे। परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. जिला स्तरीय समाचार–पत्रो में योजना एवं चयन परीक्षा की तिथि सहित पूर्ण विवरण के साथ आवेदन आंमत्रण संबधी विज्ञापन प्रकाशित कराया जावें। योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार प्राचार्यो एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला की बैठक लेकर तथा छात्रों/पालकों को योजना के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र योजना का लाभ लेने हेतु आगे आयें ।
2. राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण–पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र को पर्याप्त मात्रा में छपाकर शालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जावे साथ ही नियम की कंडिका 4 अनुसार पात्रता की सूचना भी दी जावे।
4. कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि के पूर्व परीक्षा केन्द्र का चयन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें।
5. प्रश्न पत्रों का सील्ड बंद लिफाफा दिनांक **24.03.2022 (दिन गुरूवार)** को कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर से वितरण किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत करते हुए बड़ा थैला/बॉक्स तथा सीलबंद करने हेतु चपड़ा इत्यादि सामग्री के साथ भेजा जाए।
6. सहायक आयुक्त, दो शिक्षक एवं एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ समय से **20 मिनट** पूर्व बंद लिफाफा खोला जाकर, हस्ताक्षरयुक्त लिफाफा सुरक्षित रखा जावे।

5\. आपके जिले में कुल स्वीकृत सीट से तीनगुना नामों की मेरिट सूची तैयार कर भेजी जावे।

6 बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका पर ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, पदस्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जावे।

Scanned with CamScanner

7 पर्यवेक्षक एवं प्रश्न–पत्रों के जांचकर्ता पृथक – पृथक रखे जाकर जांचकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम तथा पदस्थापना स्थान का प्रत्येक पुस्तिका में स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

8 परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जावे।

9. परीक्षा आयोजन स्थल पर पेयजल, रोशनी एवं पृथक–पृथक बालक–बालिका शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

11. कंडिका 4 अनुसार पालकों की सहमति/आयकर दाता न होने का प्रमाण–पत्र, संस्था से ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण संबंधित जानकारी, जाति प्रमाण, अंकसूची में प्राप्तांक संबंधी जानकारी, चयन परीक्षा के पूर्व से ही एकत्र कर पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे।

13. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् दो शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाकर उत्तर पुस्तिकाओं को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें तथा परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों के परीक्षा परिणामों की कक्षा–6वीं (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक सूची) की एक मेरिट सूची निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, तैयार कर सी.डी. (सॉफ्ट–कॉपी) सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते दिनांक **04.04.2022** तक अनिवार्यतः मुख्यालय में पदस्थ **योजना प्रभारी अधिकारी** को देवें।

14. मेरिट लिस्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जाने पर मान्य होगी। त्रूटिपूर्ण या प्रपत्र से विसंगति होने पर मेरिट लिस्ट मान्य नहीं की जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक कक्षावार सूची तैयार कर भेजी जावे। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दिए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

परीक्षा आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं विभिन्न स्तर पर कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारी देने हेतु कृपया जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पृथक–पृथक शिक्षक रखे जाए। अतः परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही कराया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पक्ष व शत प्रतिशत निष्ठा द्वारा मूल्यांकन किया गया है यह सुनिश्चित कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक/जउयो/01/2021–22/ 10265 नवा रायपुर दिनांक 23/02/2022

प्रतिलिपिः–

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला – .... को निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारण किया जाए। अधिकारी के साथ एक बैठक कर योजना का प्रचार–प्रसार तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु शालाओं का निर्धारण करने की कार्य योजना बना ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021)
कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा संबंधी नियम–निर्देश शिक्षण सत्र 2022–23

उद्देश्य :– योजना का उद्देश्य अनु. जन जाति, अनु. जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजनांतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्ते :–

1. विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
4. पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। आय प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :–

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। सूची संलग्न है।
2. उपर्युक्त सीट संख्या का आशय यह नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।
3. राज्य अंतर्गत छात्र/छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण–पत्र के आधार पर) उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :–

कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु –

1. कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20–20 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।
2. प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक है। अतः छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर भरकर/अंकित कर उत्तर पुस्तिका परीक्षक को वापस करेंगे।

आवेदन कैसे भरें :–

1. निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्ते पूर्ण करता है। अधूरे आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है।
2. समस्त आवेदन पत्र विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में **दिनांक 07.03.2022 (दिन सोमवार) को संध्या 5.00 बजे तक** जमा किये जा सकेंगे।

Scanned with CamScanner

3. पालकों एवं विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने में प्रधान पाठक/शिक्षकगण संवेदनशीलता से सहयोग करें। प्रतिभावान विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
4. परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी लिखने हेतु 'पैड' साथ में अवश्य लावें।
5. प्रवेश संबंधी चेक लिस्ट का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट

कं	कार्यक्रम विवरण	तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की तिथि	07.03.2022 (दिन सोमवार)
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण	11.03.2022 (दिन शुक्रवार)
3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करना	14.03.2022 (दिन सोमवार)
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों की संख्या जिलावार विकास खण्डवार का प्रेषण (Mail/Fax) द्वारा	17.03.2022 (दिन गुरूवार)
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों/वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करना एवं परीक्षा केन्द्रवार विद्यार्थियों की संख्या, केन्द्राध्यक्ष का नाम/पद/मोबाईल नंबर आदि की जानकारी भेजना।	21.03.2022 (दिन सोमवार)
6	राज्य मुख्यालय स्तर पर सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	24.03.2022 (दिन गुरूवार) (कार्या.आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय रायपुर से प्राप्त करेंगे।)
7	जिला स्तर/विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन	27.03.2022 (दिन रविवार), दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक
8	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं परीक्षा परिणाम का जिला स्तर पर संकलन।	27.03.2022 (दिन रविवार)
9	दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना	31.03.2022 (दिन गुरूवार)
10	राज्य मुख्यालय को अंतिम मेरिट सूची भेजना (अनु.जाति एवं जनजाति वार) कक्षा 6वीं	04.04.2022 (दिन सोमवार)
11	काउंसिलिंग की संभावित तिथि	पृथक से सूचित किया जाएगा।

विस्तृत विवरण :-योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट **www.tribal.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

d:\office\jawahar utkarsh\2022-23\up application 19-20 webside f.docx 15

Scanned with CamScanner

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु (वर्ष 2022–23)

आवेदन–पत्र

आवेदन की अन्तिम तिथि : 07.03.2022

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रहीहै) के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

रोलनंबर | | | | | | :–

परीक्षा केन्द्र का नाम : ....

जिले का नाम : ....परीक्षा का माध्यम ....

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....

   अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) : ....

3. पिता का नाम : ....

4. माता का नाम : ....

5. जाति (अ.ज.जा/अ.जा) : ....

   सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र सलग्न किया जाए.

6. पत्र व्यवहार का पता : ....

   : ....

7 मोबाईल न : | | | | | | | | | | |

8. जन्म तिथि (अंकों में) तिथि | | | माह | | | वर्ष | | | | |

9. जन्म तिथि (शब्दो में) : ....

10. उचित बाक्स में सही (✓)का निशान लगायें (अ) लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐

11. कक्षा चौथी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांक................कुल प्राप्तांक........ प्रतिशत ....ग्रेड............

12. पालक की आय (स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाए) ....

13. विद्यालय किस निकाय के अंतर्गत आता है : ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/जनपद पंचायत.............

आवेदक/पालक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. .... पिता .... निवासी.......... ....ग्राम...................... वि.ख............... जिला............ विद्यालय............. में वर्ष................. में कक्षा .... में अध्ययनरत है विद्यार्थी द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण का मैंने अभिलेखों से परीक्षण कर लिया है एवं विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है।

शाला प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

टीपः कक्षा पांचवी में अध्ययनरत केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राएं ही आवेदन करें।

Scanned with CamScanner

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2022–23

आय हेतु स्वघोषणा पत्र

(अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं .... पिता .... उम्र ....
निवासी ग्राम .... वि.खं. ...., जिला .... यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं –

1. मेरा पुत्र/पुत्री ने वर्ष .... **पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत** प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....
   पिता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय ....
   माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....
   माता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय ....
   पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय ....
   परिवार के कृषि से आय ....
   आवेदक की आय ....
   कुल आय ....
5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय .... है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदर रहूंगा।

पालक का हस्ताक्षर नाम सहित

पालक द्वारा घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है।

(शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

Scanned with CamScanner

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पावती वर्ष 2022–23

पावती

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रहा है/रहीहै) के प्रधानाचार्य से सत्यापित हो

श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में .... जिला .... (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

टीप :– विद्यार्थी को आबंटित परीक्षा केंन्द्र एवं रोल नंबर की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शाला से परीक्षा दिनांक से एक सप्ताह से पूर्व प्राप्त करें। जिन्हे प्रवेश पत्र ना मिला हो वे इस पावती के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकते है। परीक्षा दिनांक 27.03.2022 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक संबंधित केन्द्र में होगी।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आवेदन पत्र पावती (कार्यालयीन प्रति)

श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में .... जिला .... (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2022–23 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

Scanned with CamScanner

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 में कक्षा 6वीं में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की मेरिट सूची

क्र.	रोल नंबर	छात्र/ छात्रा का नाम	पिता/ अभिभावक का नाम	संबंधित जिला	छ0ग0 का मूल निवासी है/नहीं	जाति/ वर्ग (अभिभावक का सक्षम प्रधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र हो)	कक्षा 4थी में प्राप्तांक का प्रतिशत/ ग्रेड	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण/ अध्ययनरत संस्था का नाम एवं विकास खण्ड	पालक की सहमति (छात्र के पिता से सहमति ले ली गई है तो सहमत टीप अंकित करें)	पालक की सभी स्त्रोंतो से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, आय का उल्लेख करे (जिसमें कृषि/व्यवसाय/ नौकरी दर्शित हो)	छात्र कक्षा 5वीं की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगर पंचायत क्षेत्र की शाला से उत्तीर्ण किया है का नाम	चयन परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक एवं प्रतिशत			मोबाईल नबंर	रिमार्क
												पूर्णाक	प्राप्तांक	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

टीप :– प्रपत्र अनुसार जानकारी भेजे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला–..........................छ0ग0

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02 FEB 2022 /01/2022

क्रमांक/एफ–16–36/2009/25/2: राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग में संचालित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2016) एवं विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.6.2019 द्वारा जारी संशोधन आदेश को निरस्त/अधिक्रमित करते हुए उसके स्थान पर **पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021)** की स्वीकृति प्रदान करता है।

2– इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेट क्रमांक/एफ–2021–25–00050/ब–3/चार, दिनांक 18.01.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

ADD(N)

(एस.के.दुबे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ–16–36/2009/25/2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02 FEB 2022 /01/2022
प्रतिलिपिः–

ज.उ.यो.

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2– सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3– प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
4– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उनके पत्र क्रमांक/01/ज.उ.यो./2020–21/9867 दिनांक 25.3.2021 के तारतम्य में।
5– समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़।
6– समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7– आर्डर बुक

04/02/2022

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

1. योजना का नाम :–

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021)

2. उद्देश्य :–

योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है।

3. परिभाषाएँ :–

(क) **पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना** – पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना से अभिप्राय अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित योजना से है।

(ख) **चयन समिति** – चयन समिति का अभिप्राय योजना नियम की कंड़िका 7 में वर्णित समिति से है।

(ग) **संस्था** – संस्था का अभिप्राय सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से है।

(घ) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति** – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंड़िका 18.2 में वर्णित समिति से है।

(ड.) **निरीक्षण समिति** – निरीक्षण समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंड़िका 8.2 में वर्णित समिति से है।

4. विद्यार्थियों के चयन का मापदण्ड :–

4.1 विद्यार्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी हो।

4.2 विद्यार्थी छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।

4.3 विद्यार्थी छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कक्षा 4थीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

4.4 पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू. 02.50 लाख से अधिक न हो।

4.5 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जायेगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4थी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

5. सीटों की संख्या का निर्धारण :–

5.1 पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर कक्षा 6वीं से अनुसूचित जनजाति के 130 एवं अनुसूचित जाति के 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार होगी :–

//2//

Scanned with CamScanner

क्र.	जिला	अनुसूचित जनजाति की निर्धारित सीट संख्या	अनुसूचित जाति की निर्धारित सीट संख्या
1	2	3	4
1.	सरगुजा	10	1
2.	बलरामपुर	5	1
3.	सूरजपुर	5	1
4.	जशपुर	9	2
5.	कोरिया	5	1
6.	बिलासपुर	3	4
7.	मुंगेली	1	3
8.	कोरबा	8	3
9.	जांजगीर–चांपा	2	5
10.	रायगढ़	9	4
11.	गौरेला–पेन्ड्रा–मरवाही	5	2
12.	राजनांदगांव	5	4
13.	दुर्ग	2	4
14.	बेमेतरा	1	4
15.	बालोद	5	2
16.	कवर्धा	3	3
17.	रायपुर	2	5
18.	बलौदाबाजार	1	4
19.	गरियाबंद	5	2
20.	महासमुंद	2	4
21.	धमतरी	3	3
22.	जगदलपुर	9	2
23.	कोण्डागांव	5	1
24.	कांकेर	7	1
25.	दंतेवाड़ा	5	1
26.	सुकमा	4	1
27.	नारायणपुर	4	1
28.	बीजापुर	5	1
	योग	130	70

5.2 कक्षा 6वीं में किसी जिले की सीटों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में उक्त रिक्त सीटों की पूर्ति संबंधित संभाग के अन्य जिले के प्रावीण्य सूची के अंतर्गत उपलब्ध उसी वर्ग के विद्यार्थियों से की जा सकेगी।

5.3 योजना के तहत उत्कृष्ट आवासीय संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. द्वारा निर्धारित बोर्ड पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

6. **संस्थाओं के चयन हेतु मापदंड** :— संस्थाओं के चयन के लिए सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से मान्यता प्राप्त/संबद्ध संस्थाएं ही पात्र होंगी।

क्र.	सुविधाओं का विवरण	मापदण्ड	अंक
1.	**संस्था का निजी भवन एवं छात्रावास**	(i) संस्था का स्वयं का/किराए का विद्यालय एवं छात्रावास भवन होना आवश्यक है। (ii) संस्था में विभिन्न खेलों के लिए मानक खेलकूद का मैदान, खेल सुविधा एवं समृद्ध तथा सुविधायुक्त पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। (iii) विद्यालय के पास छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 50–50 सीटर सुसज्जित एवं पर्याप्त सुविधायुक्त स्वयं का पृथक–पृथक मानक छात्रावास भवन होना चाहिए। (iv) 50 सीटर कन्या छात्रावास में न्यूनतम 01 महिला अधीक्षक, 02 महिला सुरक्षा गार्ड एवं 03 महिला कर्मचारी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। (v) छात्रावास का संचालन यदि किरायें के भवन में किया जा रहा है तो उसकी लीज अवधि, इस विभाग के साथ संस्था का अनुबंध दिनांक से कम से कम 10 वर्ष शेष होना चाहिए।	15

Scanned with CamScanner

क्र.	सुविधाओं का विवरण	मापदण्ड	अंक
2.	संस्था का परीक्षा परिणाम	कक्षा 10 वीं का गत 03 वर्षों का एवं कक्षा 12 वी का गत 01 वर्ष का परीक्षा परिणाम 80% से कम नही होना चाहिए। (i) 80% से 90% तक 10 अंक, 90% से 95% तक 15 अंक तथा 95% से 100% परीक्षा परिणाम होने पर 20 अंक दिया जाएगा।	
3.	शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर	प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक–पृथक पलंग, गद्दा, ओढ़ने एवं बिछाने के दो चादर, एक तकिया दो तकिया कव्हर, कंबल एवं मच्छरदानी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सामग्री के रूप में कपड़े रखने के लिए एक आलमारी तथा पढ़ने के लिए टेबल एवं कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए।	15
4.	कम्प्यूटर व्यवस्था/डिजिटल क्लास	शाला में कम से कम 10 कम्प्यूटर के साथ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो एवं विद्यार्थियों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था हो।	05
5.	स्वास्थ्य सुविधा	विद्यार्थियों की चिकित्सा सुविधा हेतु डॉक्टर/चिकित्सालय से संस्था का अनुबंध होना चाहिए।	10
6.	विशेष कोचिंग	विद्यार्थियों को पृथक से ट्यूशन पढ़ना न पड़े, इस हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था इवनिंग क्लासेस के रूप में की जाए ।	5
7.	भोजन व्यवस्था	छात्र–छात्राओं को सुबह एवं शाम को नास्ता, जिसमें मौसमी फल एवं एक गिलास दूध का समावेश हो, अनिवार्यतः दिया जावे। दिन में दो बार भोजन, जिसमें दाल, चांवल, रोटी, हरी सब्जियां, पनीर, अंडा (यदि छात्र मांसाहारी हो) एवं पापड़ आदि का समावेश हो, दिया जावे। भोजन विविधतायुक्त, सूरूचिपूर्ण, सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि भोजन संबंधी सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो।	10
8.	फैकल्टी	CBSE/ICSE पाठ्यक्रमों के मापदंड के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ हो।	10
9.	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होनी वाले विभिन्न गतिविधियों/परीक्षाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व/भागीदारी	ओलंपियाड, विज्ञान पहेली, JEE (मेन/एडवांस) एवं NEET आदि में संस्था का समुचित प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता हो।	05
10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न ससंज्ञानात्मक गतिविधियों में सहभागिता	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न ससंज्ञानात्मक गतिविधियों में छात्र–छात्राओं की सहभागिता हो।	05
		योग	100

7. **चयन समिति :–**

योजना के अंतर्गत उत्कृष्ठ आवासीय विद्यालयों के चयन की कार्यवाही राज्य स्तर पर निम्नलिखित समिति द्वारा की जावेगी :–

1. आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग – अध्यक्ष
2. संचालक/अपर संचालक/उपायुक्त (वरिष्ठतम), मुख्यालय – सदस्य
3. संयुक्त संचालक (वित्त), मुख्यालय – सदस्य
4. संयुक्त सचिव/उपसचिव, छ.ग. शासन – सदस्य

Scanned with CamScanner

5. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर – सदस्य (आमंत्रित)

6. उपायुक्त/सहायक आयुक्त/
प्रभारी अधिकारी – सदस्य सचिव

7. प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य, – सदस्य
प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक/कन्या) गुढ़ियारी
जिला रायपुर (आयुक्त/संचालक द्वारा मनोनित)

8. **उत्कृष्ट संस्थाओं को इम्पैनल करने हेतु प्रकिया :–**

8.1 उत्कृष्ट संस्थाओं के चयन हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत आवेदन आमंत्रित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा।

8.2 प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विद्यालयों के निरीक्षण हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण समिति गठित की जायेगी, निरीक्षण समिति निम्नानुसार होगी :–

(i) आयुक्त द्वारा नामित उपायुक्त/ – सदस्य
सहा.आयुक्त/सहा. संचालक, मुख्यालय

(ii) सहायक आयुक्त, आदिवासी – सदस्य
विकास (संबंधित जिले के)

(iii) जिला शिक्षाधिकारी, – सदस्य
(संबंधित जिले के)

यह समिति योजना की कंडिका 6 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर संबंधित संस्था/संस्थाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत करेगी।

8.3 योजना की कंडिका 07 में उल्लेखित चयन समिति द्वारा संस्था से प्राप्त प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का समग्र परीक्षण किया जाकर, उत्कृष्ट आवासीय संस्था का चयन किया जायेगा।

8.4 समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयनित समस्त विद्यालयों का इन्पैनलमेंट किया जायेगा जो कि अधिकतम 03 वर्षों के लिए मान्य होगा।

8.5 कंडिका 04 में उल्लेखित पात्रता संबंधी शर्तों को पूर्ण करने पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सैनिक स्कूल हेतु चयनित होने वाले विद्यार्थी को भी सीधे योजनांतर्गत लाभ लेने की पात्रता होगी।

9. **संस्था के लिए निर्धारित सीट संख्या :–**

किसी चयनित संस्था में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 30 होगी।

10. **इम्पैन्लड संस्थाओं का शुल्क निर्धारण :–**

10.1 **इम्पैन्लड संस्था** जिस जिलें में स्थित है, के शुल्क का निर्धारण संबंधित जिले की जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय समिति निम्नानुसार होगीः–

i. कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर रैंक से कम न हो – अध्यक्ष

ii. जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य

iii. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास – सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह संस्थाओं के चयन के उपरांत शुल्क निर्धारण समिति से संबंधित संस्था का शुल्क निर्धारण कराएगा एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करवाएगा।

10.2 समिति संस्था में उपलब्ध अधोसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधायें, शैक्षिक वातावरण आदि तथा संस्था के शुल्क संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण कर युक्तियुक्त शुल्क निर्धारण कर अनुशंसा करेगी।

10.3 संस्था में अध्ययनरत कक्षा 6 वीं से 8 वीं के लिए एक समान, कक्षा 9 से 10 के लिए एक समान कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक समान शुल्क होगा। अतः समिति द्वारा प्रतिवर्ष इन तीन स्लैब्स में शुल्क का निर्धारण किया जाना होगा।

10.4 समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के विरुद्ध विभाग द्वारा संस्था को, योजना की कंडिका 14 में उल्लेखित अनुसार प्रति विद्यार्थी अधिकतम राशि रू. **01.40 लाख** का ही भुगतान किया जाएगा।

11. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया :–

11.1 योजना अंतर्गत विद्यार्थियों के चयन हेतु समाचार पत्रों में पूर्ण विवरणों के साथ जिला स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा । विद्यार्थी को विज्ञापन में दर्शित पात्रता अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

11.2 योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आयोजित चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

11.3 चयन परीक्षा का आयोजन तथा मूल्यांकन जिला कलेक्टर अपनी निगरानी में पूर्ण कराएंगे।

11.4 प्रवेश परीक्षा के आधार पर अभिलेखों के परीक्षण पश्चात् सभी जिला अधिकारियों द्वारा कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर जिलों में स्वीकृत सीटों से तीन गुना नामों की प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी। प्रावीण्य सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर पश्चात् सहायक आयुक्त द्वारा सूची 15 फरवरी तक तैयार कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नवा रायपुर को प्रेषित की जाएगी।

11.5 निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रावीण्य सूची में से जिलेवार/वर्गवार निर्धारित सीट संख्या के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

12. संस्थाओं द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रस्ताव में शामिल की जाने हेतु अभिलेख :–

12.1 रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव में निम्नांकित जानकारियां एवं अभिलेख सम्मिलित होंगे :–

1– संस्था का संबंधित बोर्ड में पंजीकृत होने संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र एवं पाठ्यक्रम की मान्यता संबंधी अभिलेख।

2– कंडिका 6 में उल्लेखित मापदण्ड को पूर्ण करने की पुष्टि हेतु बिन्दुवार प्रमाणित अभिलेख।

3– छात्रावासी विद्यार्थियों से ली जाने वाले फीस का विवरण के साथ, उक्त शुल्क में शिक्षण शुल्क, छात्रावास किराया, भोजन, चिकित्सा सुविधा, 02 सेट गणवेश, 02 सेट मोजे, 02 सेट जूते, रात्रिकालीन गणवेश, कीडा गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं अन्य कोई शुल्क जो अन्य बाह्य विद्यार्थियों से लिये जाते हैं, सम्मिलित होंगे।

//6//

Scanned with CamScanner

4– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय नवा रायपुर के पक्ष में देय रू. 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) का एफ.डी.आर.। यह एफ.डी.आर योजना के सफल संचालन पर अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापसी योग्य होगा।

5– प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को बुकबाईंड करवा कर सीलबंद लिफाफे में विज्ञापन में दर्शित तिथि तक आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

6– संस्था द्वारा इस आशय का सहमति पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह इस योजना के नवीनतम नियम एवं प्रावधानों से वह भलीभांति परिचित हैं तथा उसका पालन करने हेतु सहमत है।

13. इम्पैनल्ड संस्थाओं से अनुबंध की प्रकिया :–

आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर एवं इम्पैनल्ड संस्था के मध्य एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध की शर्तों को द्वितीय पक्ष अर्थात् संस्था संचालक को मानना अनिवार्य होगा। अनुबंध में मुख्यतः, संस्था का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उक्त संस्था से निकालकर अन्य संस्था में प्रवेश दिलाए जा सकने तथा उन पर विधिक कार्यवाही की जा सकने, जिसमें संस्था को काली सूची में डालने का उल्लेख एवं संस्था को देय शुल्क/राशि में कटौती किए जा सकने संबंधी शर्तें सम्मिलित होंगी।

14. संस्था को देय शुल्क एवं भुगतान की प्रकिया :–

14.1 संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए संस्था द्वारा प्रभारित शुल्क के विरूद्ध विभाग द्वारा अधिकतम राशि रू. 1.75 लाख का ही भुगतान किया जाएगा। उक्त निश्चित राशि से अधिक राशि के भुगतान की मांग किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं होगी। उक्त राशि की सीमा में ही जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा निम्नांकित मदों में किये जाने वाला व्यय/सुविधाएं सम्मिलित होंगीः–

1– संस्था द्वारा लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क,
2– शिक्षण शुल्क,
3– आवासीय सुविधा एवं मेस पर व्यय,
4– गणवेश, पहनने के कपड़े, जूते, मोजे एवं चप्पल आदि पर व्यय,
5– पुस्तकें एवं स्टेशनरी पर व्यय
6– संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों (शैक्षिक व अन्य), चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आकस्मिक व्यय इत्यादि।
7– इस योजना के तहत प्रवेशित/चयनित विद्यार्थियों को राज्य द्वारा देय किसी भी प्रकार के अन्य छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी, किन्तु राष्ट्रीय प्रतिभाखोज या अन्य अखिल भारतीय परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

14.2 शुल्क का भुगतान :–

चयनित संस्था को देय अधिकतम राशि रू. 1.75 लाख का भुगतान 03 किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त की 40% राशि का भुगतान संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत माह सितंबर में, द्वितीय किश्त की 40% राशि का भुगतान संस्था के निरीक्षण उपरांत माह दिसंबर में तथा शेष अंतिम किश्त की 20% राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम के अनुसार निम्नांकित आधारों पर किया जावेगा :–

//7//

Scanned with CamScanner

(i) 80% अथवा समकक्ष ग्रेड से अधिक अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंतिम किश्त का पूर्ण भुगतान किया जावेगा।

(ii) 70% से 80% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त की राशि में से 20% की कटौती की जावेगी।

(iii) 60% से 70% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण होने पर अंतिम किश्त की राशि में से 50% की कटौती की जावेगी।

(iv) 60% से कम अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने पर अंतिम किश्त की राशि की संपूर्ण कटौती की जावेगी।

15. **संस्था का नवीनीकरण** :–

नियत अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत आवश्यक होने पर नवीनीकरण के इच्छुक संस्थाओं का नवीनीकरण निम्नांकित आधारों पर आगामी एक वर्ष हेतु किया जा सकेगा :–

(i) योजनांतर्गत संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम।

(ii) संस्था में अध्यनरत विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे शैक्षिक वातावरण एवं अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता।

(iii) छात्रावास के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन तथा भोजन व्यवस्था आदि की गुणवत्ता।

(iv) अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी एवं उपलब्धियॉं।

(v) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के प्रतिवेदन एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं/पालकों से लिए गए फीडबैक।

16. **संस्था का दायित्व** :–

संस्था का यह दायित्व होगा कि योजनांतर्गत लाभान्वित हो रहे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत् प्रयासरत हो तथा उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास हेतु निम्नांकित कार्यवाही अनिवार्यतः करे :–

16.1 योजना से लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थियों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE)/ओलंपियाड/किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन आदि परीक्षाओं में अनिवार्यतः शामिल करवायी जावे, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास हो सके।

16.2 राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 02–02 प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE (मेन/एडवांस), NEET आदि) में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना होगा, जिनके शुल्क की पूर्ति एवं अन्य उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसके अतिरिक्त ओलंपियाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीडा प्रतियोगिता इत्यादि में विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना होगा।

16.3 विद्यार्थियों की काऊंसलिंग की जाकर उनकी रूचि एवं क्षमता की जानकारी एकत्र कर प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता एवं रूचि के अनुरूप संबंधित क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

16.4 वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, गायन आदि ऐसे रूचि के क्षेत्र, जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो, के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना होगा। उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लेने संबंधी वीडियो क्लिप/फोटोग्राफ विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा एवं ऐसे कार्यक्रमों में संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को आमंत्रित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

16.5 संस्था में प्रवेशित विद्यार्थी के संस्था अथवा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में आगामी शिक्षा सत्र में छात्र को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर अध्ययन कराने की जिम्मेदारी संस्था की होगी, जिसका संपूर्ण व्यय भार संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जावेगा।

16.6 यदि छात्र द्वितीय प्रयास में सफल होता है तो आगामी वर्ष से योजना का लाभ दिया जा सकेगा, किन्तु वह द्वितीय प्रयास में भी असफल होता है तो उसे योजनांतर्गत देय लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।

16.7 योजनांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासनहीनता संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जिले के सहायक आयुक्त द्वारा जांच कराई जाएगी, शिकायत सही पाए जाने पर सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने आचरण में आवश्यक सुधार लाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत भी वांछित सुधार परिलक्षित न होने की स्थिति में अंततः योजना के लाभ से वंचित किया जा सकेगा।

16.8 संस्था द्वारा विद्यार्थी के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगामी 03 वर्षों तक उनकी प्रगति का ब्यौरा रखा जाएगा, जिसका समय समय पर प्रेषण कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

16.9 संस्था द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि योजनांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ अन्य सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा कोई जातिगत भेदभाव एवं असमानता का व्यवहार न हो।

16.10 विद्यार्थियों की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।

16.11 प्रवेशित विद्यार्थियों की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संस्था का होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही से घटित हुई घटना हेतु संस्था पूर्ण रूप से जवाबदेह होगी ।

16.12 योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी प्रतिमाह विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

17. जिला स्तरीय दायित्वः–

17.1 प्रत्येक संस्था के लिए जिला स्तर पर एक पालक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। शाला में उत्कर्ष योजना अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम इन्हीं पालक अधिकारी की उपस्थिति में विद्यार्थियों को दिए जायेंगे। पालक अधिकारी प्रतिमाह पी.टी.एम. में उपस्थित होकर छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास आदि की प्रगति प्राप्त करेंगे एवं आवश्यक होने पर वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करायेंगे।

17.2 सहायक आयुक्त का दायित्व होगा कि वह पालक अधिकारी से प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति की जानकारी लेकर प्रति तीन माह में समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकता होने पर संस्था संचालक के साथ बैठक कर विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देश देंगे। बैठक की कार्यवाही को लेखबद्ध किया जायेगा।

17.3 सहायक आयुक्त प्रति तीन माह में चयनित संस्था का निरीक्षण कर प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

18. योजना की समीक्षा :–

18.1 योजना की समीक्षा राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की जायेगी। समीक्षा बैठक में संस्था के प्राचार्य/संचालक की उपरिथति अनिवार्य होगी। समीक्षा के पश्चात् समिति द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

Scanned with CamScanner

18.2 राज्य स्तर पर योजना की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी :–

1– प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग	–	अध्यक्ष
2– आयुक्त/संचालक आ.जा. तथा अनु.जा. विकास	–	सदस्य
3– प्रबंधक संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	–	सदस्य
4– संचालक, एस. सी. ई. आर. टी.	–	सदस्य
5– प्रभारी अधिकारी (योजना)	–	सदस्य/सचिव

इस समिति की बैठक वर्ष में 02 बार सम्पन्न होगी।

18.3 जिला स्तर पर योजना की समीक्षा जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति द्वारा की जावेगी। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :–

1–	जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2–	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
3–	परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	–	सदस्य
4–	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	–	सदस्य/सचिव

इस समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास को प्रेषित किया जावेगा।

19. <u>नियमों का विवेचन</u> :–

19.1 इन नियमों के प्रभावशील होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित नियम/प्रावधान स्वमेव प्रभावशून्य हो जायेंगे किन्तु पूर्व में लागू योजना नियम से अनुबंधित संस्था अपने अनुबंध के अनुरूप संचालित होती रहेंगी।

19.2 इन नियमों में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में संशोधन/परिवर्तन एवं विवेचना का अधिकार छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का होगा।

20. <u>विवादों का निपटारा:–</u>

योजना के कियान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निम्नांकित समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा :–

(अ) आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	–	अध्यक्ष
(ब) योजना प्रभारी अधिकारी	–	सदस्य
(स) संबंधित जिले का सहायक आयुक्त	–	सदस्य

//10//

Scanned with CamScanner

21. <u>योजना पर होने वाला व्यय</u> :-

21.1 अनु.जनजाति हेतु मांग संख्या 41/2202-01-101-0102 योजना क्रमांक 5092 जवाहर उत्कर्ष योजना-14-011-वैयिक्तक अनुदान

21.2 अनु.जाति हेतु-मांग संख्या 64/2202-01-101-0103 योजना क्रमांक 5092 जवाहर उत्कर्ष योजना-14-012-वैयिक्तक अनुदान मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

(एस.के.दुबे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

Scanned with CamScanner